



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052023-246123
CG-DL-E-27052023-246123

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2238]
No. 2238]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2023/ज्येष्ठ 5, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2023/JYAISHTHA 5, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 मई, 2023

का.आ. 2334(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, विनाइल एसीटेट मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनाइल एसीटेट मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
- यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- विनाइल एसीटेट मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह 29 फरवरी, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग(2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5405 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 2435 (अ), तारीख 30 मई, 2022 और संख्यांक का.आ. 5496 (अ), तारीख 25 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 23rd May, 2023

S.O. 2334(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Vinyl Acetate Monomer (Quality Control) Order, 2021, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Vinyl Acetate Monomer (Quality Control) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Vinyl Acetate Monomer (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 29th day of February, 2024.”

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part(2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5405(E), dated the 22nd December, 2021 and subsequently amended *vide* number S.O. 2435(E), dated the 30th May, 2022 and S.O.5496(E), dated the 25th November, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 23 मई, 2023

का.आ. 2335(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह 29 फरवरी, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग(2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5406 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 2436 (अ), तारीख 30 मई, 2022 और संख्यांक का.आ. 5497 (अ), तारीख 25 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 23rd May, 2023

S.O. 2335(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 29th day of February, 2024.”

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part(2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5406(E), dated the 22nd December, 2021 and subsequently amended *vide* number S.O. 2436(E), dated the 30th May, 2022 and S.O. 5497(E), dated the 25th November, 2022.